①

ACTION TAKEN / PROGRESS REPORT

IN OA NO. 134/2017 (CZ)

RAMESH AGARWAL

VS

CHIEF MUNICIPAL OFFICER & ORS.

Date of Inspection :- 03.03.2021

Vide order dated 11.09.2020, direction was issued to Collector, Agar Malwa, to remove the illegal or unauthorized construction and encroachments within the water body and do necessary remedial action.

MPPCB has sought information from the collector office regarding the compliances done and the same is filed before the Hon'ble Tribunal.

Parug

2

क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

17,भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय–0734–2510984

ई–मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

क0 1833 /प्रनिबो/क्षेकाउ/2021 उज्जैन, दिनांक 06/03/2021

प्रति,

श्री सुधीर श्रीवास्तव,
विधि अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्र. 134/2017

संदर्भः– बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक 462दिनांक 03.03.2021

--00--

उपरोक्त संदर्भानुसार माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक–134/2017 के पालनार्थ हेतु दिनांक 03.03.2021 को रातडिया तालाब, मोती सागर तालाब, बस स्टेंड तलाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण हेतु नगर पालिका परिषद् आगर से श्री मनोहर लाल वागडी, सहायक यंत्री एवं श्रीमती निधि पटेल, उपयंत्री उपस्थित थे। निरीक्षण मे पाया गया, कि नगर के तीनो तालाबो में से एक मात्र तालाब रातडिया तालाब में मालीपुरा की ओर से मिलने वाले बड़े नाले के दूषित पानी को रोकने के लिए नाले का डायर्वशन हेतु आर.सी.सी. पक्के नाले का निर्माण किया जा चुका है, किन्तु एक स्थान पर आर.सी.सी. नाली टूटी हुई पायी गयी, जिससे कुछ मात्रा में नालें का पानी तालाब में जा रहा है साथ ही छावनी क्षेत्र की ओर से दो छोटी–छोटी नालियों का दूषित पानी को रोके जाने हेतु एक अन्य आर.सी.सी. नाले का निर्माण किया जा रहा है जो मार्च माह में पूर्ण हो जायेगा।

नगर पालिका परिषद् आगर के अधिकारीयों द्वारा जानकारी दी गई कि अन्य नालो का पानी मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत प्रचलित रातडिया तालाब आर.सी.सी. नाले में मिलाकर दूषित पानी चेम्बर से होकर शहर के बाहर सारंगपुर रोड पुलिया में मिलता है। उक्त प्रचलित आर.सी.सी. नाले के आउटलेट पर (शकर कुइया) रातडिया तालाब सोदर्यीकरण योजना लागत 340 लाख अंतर्गत STP MBBR सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 56 लाख का प्रस्तावित है। यह योजना शासन से स्वीकृत होकर अधीक्षण यंत्री महोदय के पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 31.08.2020 उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया है एवं स्मरण पत्र क्रमांक 2168 दिनांक 07.09.2020 व पत्र क्रमांक 2486 दिनांक

09.10.2020 को दिया गया प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उक्त योजना की शीघ्र ही निविदाये जारी की जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कराया जायेगा।

साथ ही, इस संदर्भ में लेख है कि आगर–मालवा के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत तालाब (रतन सागर, मोती सागर, एवं बस स्टेंड तलाई) के किनारे अवैध अतिक्रमण / निर्माण सीमांकन कर उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में एक्शन टेकन दिनांक 11.09.2020 के पूर्व माननीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत करने के आदेश है। जिसके अनुपालन में नगरपालिका आगर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को तालाबो के सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया । उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार आगर द्वारा आर.आई. एवं पटवारी राजस्व अमले को सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया। आर. आई., पटवारी राजस्व अमले द्वारा नगर पालिका अमले की उपस्थिति में तीनो तालाबो (रतन सागर, मोती सागर एवं बस स्टैंड तालाब) की सीमांकन कर मोके पर चतुर्थसीमा एवं सीमा चिन्ह करवाया गए। तहसीलदार आगर के पत्र क्रमांक/री–/1/2020/989 आगर दिनांक 01.08.2020 द्वारा तीनो तालाबो के भूमि के सीमांकन एवं अवैध अतिकमण के संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के पालन में निकाय द्वारा 1. रामप्रसाद पिता गेंदालाल माली 2. पंकज पिता गोवर्धनलाल माली 3. प्रेम पिता भेरूलाल माली 4. पंकज पिता गोवर्धनलाल जादम 5. जीतमल पिता गेंदालाल माली का अतिक्रमण हटाकर नाला निर्माण किया जा चुका है। शेष अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुचना पत्र जारी किये गए। अतिकमण हटाने की अग्रिम कार्यवाही जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार की जावेगी।

संलग्नः– निरीक्षण दिवस स्थल के फोटोग्राफ व नगर पालिका परिषद, आगर जिला–आगर–मालवा से प्राप्त पत्र संलग्न है।

(अशोक रामावत)
रसायनज्ञ

(एच.के.तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Ratadiya Lake

Pollution Control Board Engineers During Inspection of RCC drain around Ratadiya lake with Nagar Palika Engineers

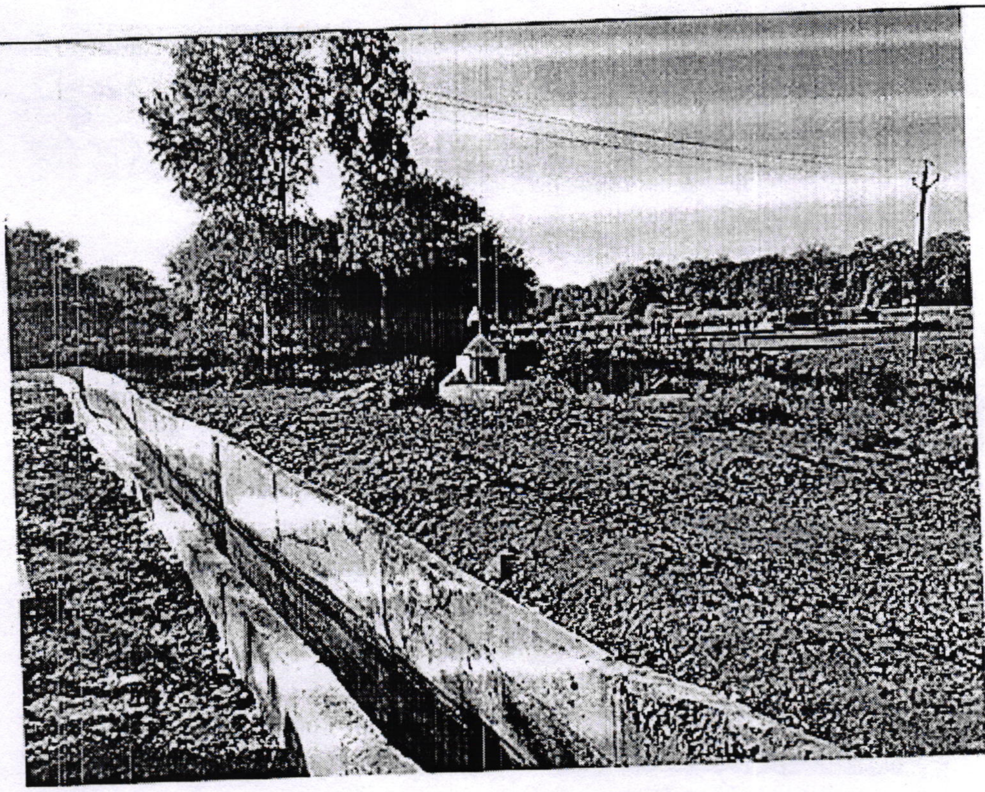

RCC Drain around Ratadiya lake

कार्यालय नगर पालिका परिषद् आगर जिला आगर मालवा म0प्र0

क्रमांक / न.पा. / 2021 / 739 आगर दिनांक 3/3/2021

प्रति ,

कलेक्टर महोदय
जिला – आगर (मालवा)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली बेंच के प्रकरण क्रमांक 134/2017 दिनांक 18.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत् ।

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि नगरीय क्षेत्र अंतर्गत तालाब (रतन सागर , मोती सागर , एवं बस स्टेंड तलाई) के किनारे अवैध अतिक्रमण / निर्माण सीमांकन कर उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में एक्शन टेकन दिनांक 11.09.2020 के पूर्व माननीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत करने के आदेश है। जिसके अनुपालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार को तालाबो के सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया । उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार आगर द्वारा आर.आई. एवं पटवारी राजस्व अमले को सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया । आर. आई. , पटवारी राजस्व अमले द्वारा नगर पालिका अमले की उपस्थिति में तीनो तालाबो (रतन सागर , मोती सागर एवं बस स्टैंड तालाब) की सीमांकन कर मोके पर चतुर्थसीमा एवं सीमा चिन्ह करवाया गए । तहसीलदार आगर के पत्र क्रमांक /री-/1/2020/989 आगर दिनांक 01.08.2020 द्वारा तीनो तालाबो के भूमी के सीमांकन एवं अवेध अतिक्रमण के संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के पालन में निकाय द्वारा 1. रामप्रसाद पिता गेंदालाल माली 2. पंकज पिता गोवर्धनलाल माली 3. प्रेम पिता भेरुलाल माली 4. पंकज पिता गोवर्धनलाल जादम 5. जीतमल पिता गेंदालाल माली का अतिक्रमण हटाकर नाला निर्माण किया जा चुका है। शेष अवैध अतिक्रमणकर्ताओ को अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुचना पत्र जारी किये गए। अतिक्रमण हटाने की अग्रिम कार्यवाही जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार की जावेगी।

नगर के तीनो तालाबो में से एक मात्र तालाब रातडिया तालाब में मालीपुरा की ओर से मिलने वाले बड़े नाले के दूषित पानी की रोकने के लिए आर.सी.सी. पक्के नाले का निर्माण किया जा चुका है छावनी क्षेत्र की ओर से दो छोटी छोटी नालीयो का दूषित पानी तालाब में मिलने से रोकने के लिए आर.सी.सी. नाले का निर्माण मोके पर प्रग्रतिरत है जो मार्च माह में पूर्ण हो जायेगा | अन्य किसी भी नाले का दूषित पानी तालाब मे नही मिल रहा है अन्य नालो का पानी मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत प्रचलित रातडिया तालाब आर.सी.सी. नाले में मिलाकर दूषित पानी चेम्बर से होकर शहर के बाहर सारंगपुर रोड पुलिया में मिलता है। उक्त प्रचलित आर.सी.सी.. नाले के आउटलेट पर (शकर कुइया) रातडिया तालाब सोंदर्यीकरण योजना लागत 340 लाख अंतर्गत STP MBBR सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 56 लाख

का प्रस्तावित है। यह योजना शासन से स्वीकृत होकर अधिक्षण यंत्री महोदय के पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 31.08.2020 उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया है एवं स्मरण पत्र क्रमांक 2168 दिनांक 07.09.2020 व पत्र क्रमांक 2486 दिनांक 09.10.2020 को दिया गया प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उक्त योजना की शीघ्र ही निविदाये जारी की जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कराया जायेगा।

बस स्टेण्ड के पास दवाखाना मैदान तलाई :- न०पा० द्वारा शोपिंग काम्प्लेक्स निर्माण आई.डी.एस.एम्.टी. योजनान्तर्गत विधिवत प्रक्रिया की जाकर निर्मित की गई किसी भी प्रकार अतिक्रमण निकाय द्वारा नही किया गया है संलग्न पत्र -

1. परिषद् प्रस्ताव दिनांक 11/02/2000
2. अधीक्षण यंत्री संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग पत्र क्र. 28/02/2001
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी पत्र दिनांक 13/08/2003
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर म.प्र. वि. प्राधिकरण संघ भोपाल

प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आगर

पृ क्रमांक/निर्माण/2021/740

आगर दिनांक 3/3/2021

प्रतिलिपि :-

1. जिला परियोजना अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आगर

8

नस्ती

कार्यालय नगर पालिका परिषद् आगर जिला आगर मालवा म0प्र0

क्रमांक / न.पा. / 2020 / 2662 आगर दिनांक 9/11/2020

प्रति ,

कलेक्टर महोदय

जिला – आगर (मालवा)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली बेंच के प्रकरण क्रमांक 134/2017 दिनांक 18.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत् ।

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर पत्र क्रमांक 151/डूडा/2020/आगर-मालवा दिनांक 07/11/2020

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि नगरीय क्षेत्र अंतर्गत तालाब (रतन सागर , मोती सागर , एवं बस स्टेंड तलाई) के किनारे अवैध अतिक्रमण / निर्माण सीमांकन कर उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में एक्शन टेकन दिनांक 11.09.2020 के पूर्व माननीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत करने के आदेश है । जिसके अनुपालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार को तालाबो के सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया । उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार आगर द्वारा आर.आई. एवं पटवारी राजस्व अमले को सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया । आर. आई. , पटवारी राजस्व अमले द्वारा नगर पालिका अमले की उपस्थिति में तीनो तालाबो (रतन सागर , मोती सागर एवं बस स्टैंड तालाब) की सीमांकन कर मोके पर चतुर्थसीमा एवं सीमा चिन्ह करवाया गए । तहसीलदार आगर के पत्र क्रमांक /री-/1/2020/989 आगर दिनांक 01.08.2020 द्वारा तीनो तालाबो के भूमी के सीमांकन एवं अवेध अतिक्रमण के संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया (प्रति संलग्न) । उक्त प्रतिवेदन के पालन में निकाय द्वारा अवैध अतिक्रमणकर्ताओ को अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुचना पत्र जारी किये गए । अतिक्रमण हटाने की अग्रिम कार्यवाही जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार की जावेगी ।

नगर के तीनो तालाबो में से एक मात्र तालाब रातडिया तालाब में एक छोटे नाले का दूषित पानी तालाब में मिल रहा है । दूषित पानी को रोकने हेतु मोके पर आर.सी.सी. नाले का निर्माण मोके पर प्रग्रतिरत है । कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण होकर शेष कार्य एक सप्ताह में पूर्ण हो जायेगा है । अन्य किसी भी नाले का दूषित पानी तालाब मे नही मिल रहा है अन्य नालो का पानी मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत प्रचलित रातडिया तालाब आर.सी.सी. नाले में मिलाकर दूषित पानी चेम्बर से होकर शहर के बाहर सारंगपुर रोड पुलिया में मिलता है । उक्त प्रचलित आर.सी.सी. नाले के आउटलेट पर (शकर कुइया) रातडिया तालाब सोंदर्यीकरण योजना लागत 340 लाख अंतर्गत STP MBBR सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 56 लाख का प्रस्तावित है । यह योजना शासन से स्वीकृत होकर अधिक्षण यंत्री महोदय के पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 31.08.2020 उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है । प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया है प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उक्त योजना निविदाये जारी की जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कराया जायेगा ।

पत्र संलग्न है ।

प्रतिवेदन सादर प्रेषित है ।

1839
11 NOV 2020
Regional Officer ... Pollution Control Board

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आगर
आगर दिनांक 9/11/2020

पृ क्रमांक/निर्माण/2020 / 2663

प्रतिलिपि :-

1. जिला परियोजना अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय , म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आगर

कार्यालय नगरपालिका परिषद् आगर जिला आगर–मालवा (म0प्र0)

क्र / 2020 / न.पा. / आगरदिनांक

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

विषय :– रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति विषयक ।

सन्दर्भ :– अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 |

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है की नगर पालिका परिषद् आगर को रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास आदेश क्र 4125 /या.प्र./7 /झीलों एवं तालाब /2020 भोपाल दिनांक 18.03.20 राशि 116.56 लाख की प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपी पत्र के साथ संलग्न है कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 द्वारा राशि 340.00 लाख (जी एस टी सहित) की दी गयी है। म प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के 237 (5) तालिका अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन श्रीमान के द्वारा किया जाना है।

अतः उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् आगर
आगर दिनांक

पृ.क्र / 2020 / न.पा. /
प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण यंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद आगर

संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ)उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell)Ujjain Division Ujjain
Block "A" Bharatpuri Ujjain (M.P.)Pin 4560 Phone : 0734-251542 www.mpurban.gov.in eeujjain@mpurban.go

क्र0/ यां.प्र./तक.स्वी./2020 /1698 उज्जैन, दिनांक- 31/8/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका आगर
जिला– आगर

विषय :– तकनीकी स्वीकृति (रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य)।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1490 दि. 30.06.2020 एवं संशोधन उपरांत आपका पत्र क्र. 1989 दि. 18.08.2020

––––0––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के सन्दर्भ में संलग्न प्राक्कलन पर निम्न शर्तों के आधार पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्न कार्य के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	स्थल का विवरण	प्राक्कलन राशि
01	रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य।	रातडिया तालाब	लागत राशि रू. 30358391.20 + जी.एस.टी. @ 12% राशि रू. 3643007.00 = **34001398.00**

शर्तें :–

1. संबंधित प्राक्कलन की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.) के एकीकृत मानक दर सूची (UADD ISSOR) दि.10.05.2012 एवं संशोधन दिनांक 24.11.18 के अनुरूप दर पर जारी की जाती है।
2. उक्त तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रदाय की जा रही है, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा जारी करने के पूर्व SAP Portal के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य है, आवश्यकतानुसार कार्य की स्ट्रक्चरल ड्राईंग डिजाइन किसी इंजिनियरिंग संस्थान से परीक्षण उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति हेतु SAP Portal पर अपलोड करें, जिसकी समस्त जिम्मेंदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित सहायक यंत्री/उपयंत्री की रहेगी।
3. कार्य एस.ओ.आर. स्पेसिफिकेशन के एवं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराया जावे, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निविदा दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने के उपरांत निकाय हित में निर्णय लिया जावे तथा अंतिम देयकों का भुगतान के पूर्व निकाय हित में सक्षम अधिकारी से देयक परीक्षण कराया जावे।
4. प्राक्कलन पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर अनुमोदित की जा रही है कि स्थल विवादास्पद नहीं है, स्थल चयन, भूस्वामित्व का परीक्षण निविदा आमन्त्रित करने से पूर्व कर लें। विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/परिषद् उत्तरदायी रहेगी।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. म.प्र.न.पा. (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ली जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. निविदा जारी दिनांक तक प्रचलित एस.ओ.आर. में कोई संशोधन जारी होने से इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति प्रभावित होती है पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय से लेना सुनिश्चित करें।

F:\Yentriki Prakoshtha\Approval\Technical Approval

संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ) उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell) Ujjain Division Ujjain
Block 'A' Bharatpuri Ujjain (M.P.) Pin 456C
Phone 0734-251542:
www.mpurban.gov.in
ceujjain@mpurban.go

8. टेस्टिंग अधिकृत लेब से कराने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। टेस्ट रिपोर्ट के अभाव में भुगतान न किया जावे।
9. प्रचलित दर सूची में जो संशोधन लागू किये गये निविदा सूचना में स्पष्ट तौर पर उन संशोधनों का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति यदि पूर्व में निकाय द्वारा प्राप्त कर ली गई हो तो उक्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
11. शासन आदेश अनुसार 1.00 लाख व इससे अधिक के निर्माण कार्यों की निविदा ई–टेंडरिंग प्रणाली से करना अनिवार्य हैं तथा निर्माण कार्य परफारमेन्स ग्यारंटी अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–प्राक्कलन उपरोक्तानुसार।

31/8/2020

अधीक्षण यंत्री,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
उज्जैन संभाग, उज्जैन

31/8/20

(12)

(3)

परिशिष्ट - 1

कार्यालय तहसीलदार तहसील आगर, जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

क्रमांक/री-1/2020/

आगर दिनांक 11.08.2020

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय

(स्टेनो शाखा)

जिला आगर-मालवा

द्वारा :- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय , अनुविभाग आगर-बडौद

विषय:- कस्बा आगर के तालाब के सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में ।

संदर्भ:- 1. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग आगर-बडौद के पत्र क्रमांक /री-एक/2020/3654 आगर दिनांक 31.07.2020 के पालन में ।

2. कार्यालय नगर पालिका परिषद आगर के पत्र क्रमांक/निर्माण/2020/1813 आगर दिनांक 30.07.2020 के संबंध में ।

------------000-----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन हैं कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से कस्बा आगर स्थित मोती सागर तालाब, रत्न सागर तालाब एवं बस स्टेण्ड किनारे वाली तलाई के सीमांकन किये जाने हेतु प्राप्त हुआ । उपरोक्तानुसार पत्र के पालन में सीमांकन करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/री-1/2020/981 आगर दिनांक 05.08.2020 के पालन में कस्बा छावनी एवं कस्बा आगर के शासकीय तालाब-मोतीसागर तालाब, रत्नसागर तालाब, एवं बस स्टेण्ड की तलाई की भूमि का सीमांकन करने हेतु श्री मनीषसिंह तिवारी, राजस्व निरिक्षक व्रत 01 आगर , श्री कुमेरसिंह भीलाला, राजस्व निरिक्षक व्रत 04. तनोडिया, श्री त्रिलोकचन्द्र पाटीदार पटवारी कस्बा आगर एवं छावनी, श्री प्रसन्न राजावत पटवारी हल्का क्रमांक 1 नरवल एवं श्री ब्रजेन्द्र शर्मा पटवारी हल्का क्रमांक 43 का दल गठित किया जाकर उपरोक्त आवेदित भूमि का सीमांकन करने हेतु आदेशित किया गया ।

सीमांकन दल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विधिवत लिखित सूचना पत्र दिनांक 06.08.2020 को जारी किया जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्री, राजस्व उपनिरीक्षक आदि अमले की उपस्थिति में दिनाक 07.08.2020 एवं 08.08.2020 को कस्बा छावनी एवं कस्बा आगर की शासकीय तालाब. रत्नसागर तालाब. मोती सागर तालाब एवं बस स्टेण्ड के पास वाली तलाई का सीमांकन किया गया।

निरन्तर-------------2

रत्नसागर तालाब सीमांकन:- कस्बा छावनी की शासकीय तालाब नाईयत की भूमि सर्वे क्रमांक 152/1/2 रकबा 2.874, 152/2 रकबा 0.125, 152/3 रकबा 0.502, 152/4 रकबा 0.157, 152/5 रकबा 0.732, 153 रकबा 5.278 कुल रकबा 9.668 हेक्टेयर भूमि का नियुक्त राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी दल द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री टी.एस.जाट, एवं सहा.यंत्री श्री एम.एल.बागडी उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल, सहा.राजस्व निरीक्षक श्री चिन्तामण व्यास, एवं श्री रामचन्द्र सिंदल, आदि अमले की उपस्थिति में टी.एस.एम. मशीन एवं जरीब के माध्यम से उपलब्ध पटवारी नक्शा एवं नजुल नक्शा अनुसार मिलान किया जाकर सीमांकन किया गया। सीमांकन उपरान्त उपरोक्त भूमि की चतुर्थसीमा नाप कर सीमाचिन्ह कायम करवाये गये। मोके पर नगर पालिका के अधिकारीयों एवं अमले के द्वारा चुने की लाईन डालकर सीमा चिन्ह कायम करवाए गए। मोजुद पटवारी नक्शा में सर्वे क्रमांक 152 में बटांकन तरमीम नही होने के कारण सम्पूर्ण सर्वे क्रमांक की का सीमांकन किया गया । उक्त सर्वे क्रमांक 152/1/1 रकबा 0.314 हेक्टेयर भूमि रामप्रसाद आदि जाति माली के नाम से वर्तमान खसरा में दर्ज होने से मोका अनुसार रकबा छोड़कर शेष भूमि जो की तालाब नोईयत की भूमि हैं का सीमांकन किया गया। सीमांकन पश्चात शासकीय तालाब नोईयत की भूमि सर्वे क्रमांक 152 में दक्षिण दिशा की ओर एवं मालीपुरा सड़क के उत्तर दिशा की ओर अनावेदक 1. श्री गोरधनलाल पिता मथुरालाल जाति कुम्हार ,2. श्री गोपाल पिता कंवरलाल जाति माली, 3. श्री कालीबाई पति सांगीलाल, जाति अग्रवाल, 4. श्री विजय पिता भेरूलाल जाति माली, 5. श्री दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति माली, 6. श्री ओमशंकर पिता कन्हैयालाल जादम जाति माली, 7. श्री अशोक पिता रामलाल खटिक, 8. श्री प्रेम पिता भेरूलाल जाति माली, 9. श्री अर्जुन पिता शंकरलाल जाति माली, 10. श्री पीरूलाल पिता हजारीलाल जाति माली, 11. श्री पंकज पिता गोवर्धनलाल जाति माली, 12. श्री राकेश,जयशंकर पिता जगदिशचन्द्र जाति माली के द्वारा पक्के एवं अर्द्ध पक्के मकान बने हुए हैं। उपस्थित नगर पालिका के अधिकारीयों एवं उपयंत्री श्री बागडी के द्वारा उक्त मकानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होना बताया गया है। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा दस्तावेज चाहे गये उनके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। इसी प्रकार 13 श्री रामप्रसाद पिता गेंदालाल जाति माली निवासी आगर के द्वारा रकबा 0.216 हेक्टेयर भूमि को बागड लगाकर अवैध अधिपत्य पाया गया हैं। नगर पालिका परिषद आगर द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाना हैं।

बस स्टेण्ड के पास की तलाई का सीमांकन :- सीमांकन दल द्वारा दिनांक 08.08.2020 को कस्बा छावनी स्थित शासकिय भुमि सर्वे नं. 131 रकबा 0.585 हेक्टेयर तलई, 134 रकबा 0.188 हेक्टेयर तलई, सर्वे न. 132 रकबा 0.073 हेक्टर पाल ,सर्वे न 133 रकबा 0.052 हे पाल कुल रकबा 0.898

निरन्तर---------3

हेक्टेयर भूमि का सीमांकन जरीब एवं ETSM मशीन से किया गया। । कस्बा छावनी के उपलब्ध पटवारी नक्शे में सर्वे न 131 की आकृति स्पष्ट नहीं होने से नजूल भूमि का नक्शा क्लॉथ शीट में निर्मित आकृति के अनुसार सीमांकन कर आवेदित भूमि की सीमाएं चिन्हित की गयी |मौके पर नगर पालिका की ओर से सहायक राजस्व निरीक्षक चिंतामन व्यास, रामचन्द्र शिंदल , उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल ,एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे । सीमांकन उपरांत सर्वे न 132 एवं 133 के संयुक्त रकबे 0.125 हे पाल पर रकबा 0.031 हे पर दावल शाह वली की दरगाह के पीछे अजार कुआ एवं अतव आदि बना होकर तार फेंसिग होकर अवैध आधिपत्य पाया गया । इसी प्रकार सर्वे न 131 एवं 134 तलाई की भूमि पर पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका द्वारा 45 दुकानें बनाकर निर्मित की गयी है। मौके पर उपस्थित उपरोक्त नगर पालिका के अमले को उक्त भूमि सर्वे नंबरों की चतुर्सीमा का ज्ञान कराया गया एवं सीमांचिन्ह कायम करवाए गए । मौके पर नगर पालिका की ओर से उपस्थित अधिकारीयों एवं कर्मचारियों को अतिक्रमण का भी ज्ञान करवाया गया एवं चुने की लाइन डलवाकर अस्थाई निशान करवाए गए हैं। खसरा कम्प्यूटर वर्ष 2019-20 के सर्वे क्रमांक 131 के कॉ.नं. 12 में " न्या. जिलाध्यक्ष महो.शाजापुर के प्र.क्र.100/90-91 अ-59 दि.31.05.91 व श्रीमान तह.महो.आगर के पत्र क्र.री-1/04/963 दि.2.8.04 के पालन में हस्तांतरीत शांपिंग कॉम्पलेक्स हेतु नगरपालिका आगर को हस्तांतरित" का उल्लेख हैं। उपरोक्तानुसार सीमांकन कर सीमांचिन्ह एवं अतिक्रमण को चिन्हित किया जाकर नगर पालिका आगर को को बताया गया हैं।

<u>मोतीसागर तालाब सीमांकनः-</u> गठित सीमांकन दल द्वारा नगर पालिका आगर की ओर से उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक चिन्तामण व्यास एवं रामचन्द्र शिदंल व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 08.08.2020 को कस्बा आगर की शाकसीय भूमि सर्वे क्रमांक 1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869 ,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1892,1893,1894,1895,1896,1897.1898,1899,1900,190 1,1902,1903,1904,1905,1907,1908,1909,1910,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919, 1920,1921,1922,1923/1,1923/2,1923/3 कुल रकबा 84.812 शासकीय तालाब नगर पालिका आगर की भूमि का सीमांकन किया गया। उक्त तालाब भूमि के सीमांकन के संबंध में पूर्व में सांई परिवार सामाजिक संस्था आगर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/03/2017 अनुसार कार्यालय अपीक्षक भू-अभिलेख जिला आगर-मालवा के आदेश पत्र क्रमांक/64/सीमांकन/2017 आगर-मालवा दिनांक 14.11.2017 एवं प्रकरण क्रमांक 11अ-12/2017-18 में श्री राजेश सरवटे अधीक्षक भू-अभिलेख की उपस्थिति में श्री श्यामलाल शर्मा, श्री त्रिलोक पाटीदार, पटवारी तहसील आगर. श्री व्रजेन्द्रशर्मा पटवारी तहसील आगर, श्री प्रहलादसिंह भीलाला पटवारी तहसील आगर(कस्बा पटवारी) की उपस्थिति में दिनांक 15.11.2017 को सीमांकन किया गया । सीमांकन पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं

निरन्तर----4

आवेदक की ओर से देवेन्द्रवर्मा व प्रशांत भटनागर को लिखित में सूचना दी जाकर मोके पर सीमांकन के समय उपस्थित रह कर सीमांकन की कार्यवाही समक्ष में सीमा चिन्ह कायम करवाए गए थे । तत्समय सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार मोके पर टी.एस.एम. मशीन से संपूर्ण जल भराव क्षेत्र के कोर्डीनेट लिए गये। सर्वे अनुसार शासकीय तालाब के जल भराव क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 85.428 हेक्टेयर आता हैं। जबकि शासकीय अभिलेख अनुसार तालाब का कुल रकबा 84.812 हेक्टेयर दर्ज हैं। अर्थात अभिलेख में दर्ज रकबा अनुसार तालाब का क्षेत्रफल रकबा 0.616 हेक्टेयर वेशी होता हैं जो संभवतः किसी निजी भूमि के रकबे को प्रभावित करता हैं। उक्तानुसार तालाब भूमि का सीमांकन कर मोके पर नगर पालिका के उपस्थित अधिकारी कर्मचारी को सीमाचिन्ह कायम करवाए जाकर सीमा का ज्ञान करवाया गया था।

मौके पर दिनांक 08.08.2020 को उपरोक्त सीमांकन के सीमाचिन्हों को देखा गया जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया गया हैं। नगर पालिका आगर के द्वारा तालाब के किनारों/घांटों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया हैं। अर्थात उपरोक्तानुसार पुनः नगर पालिका के उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को सीमाचिन्हों का ज्ञान करवाया गया एवं सीमाऐं बताई गई ।

उपरोक्तानुसार आवेदित रत्नसागर तालाब, बस स्टेण्ड के पास की तलाई एवं मोती सागर तालाब की निस्तार की भूमि जो नगर पालिका आगर के अधिपत्य की भूमि हैं। उपरोक्त तालाबों का पूर्व कई वर्षों से संधारण एवं संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा हैं। उक्त भूमि का सीमांकन कर नगर पालिका आगर को अवगत करा दिया गया हैं। सीमांकन कर चतुर्थसीमा नापकर बतायी गई हैं। मौके पर नगर पालिका आगर को अतिक्रमण आदि चिन्हित किया जाकर सीमा का ज्ञान करवा दिया गया हैं।

अतः श्रीमान की ओर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

तहसीलदार
तहसील आगर

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण) जिला–आगर मालवा (म.प्र.)

संयुक्त जिला कार्यालय भवन, भू–तल, कक्ष क्र. 31 सारंगपुर रोड
E-Mail : pododa.agar.mpurban@gmail.com

क्रमांक / 215 / डुडा / 20–21 / आगर दिनांक : 09 /12/2020

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद आगर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

विषय :– मान. एन.जी.टी. भोपाल बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुपालन बाबत्।

संदर्भ :– सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र./821/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/20 दिनांक 22.09.2020।

––––000––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मान. NGT प्रकरण क्रमांक 134/2017 में दिनांक 11.09.2020 के परिपालन में प्रतिवेदन मान. NGT में समयसीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।(छायाप्रति संलग्न)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अवधेश शर्मा)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा

पृ.क्रमांक /216-217/ डुडा / 20–21 / आगर दिनांक : 09 /12/2020

प्रतिलिपि -

1– सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2– परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला आगर मालवा

(15)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिन्सिपल बैंच ,नई दिल्ली

OA NO. 134/2017(CZ)

रमेशचन्द्र अग्रवाल
विरूद्ध
मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सिपल बैंच ,नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.09.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 134/2017 (रमेशचन्द्र अग्रवाल विरूद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी एंव अन्य) में दि.11.09.2020 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

In Compliance thereof, the District Magistrate District Agar, Malwa and Madhya Pradesh pollution Control Board has Submitted joint inspection report which as follow :

1- The demarcation of the land has been done. In Davlasa Talai and Ratadiya Pond some encroachments were found.
2- There is no manner to prevent discharge of untreated water into the pond Motisagar. It is reported that RCC Drain is under construction
3- The manner of preventing the discharge of untreated water into the ponds are required to be taken.
4- The remedial measures are being taken and the proposal has been sent to the Government.

Accordingly,we direct the Collector Agar Malwa to remove the illegal or unauthorized construction and encroachments within the water body and do necessary remedial action within a time frame and further progress report be submitted to this Tribunal by 10 December, 2020.

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

रातड़िया तालाब मोईयत की भूमि पर चिन्हित अतिक्रमण कर्ताओ में से 05 नाला निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाए जाकर नाले का निर्माण किया जा चुका है। जिले में विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की आदर्श आचार संहिता दिनांक 29.09.2020 से 12.10.2020 तक प्रभावशील थी। उसके उपरांत शेष अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पालिका परिषद आगर द्वारा अतिक्रमण कर्ताओ को नोटिस जारी किये गये है।

नहीं है । रातड़िया तालाब
नानासागर तालाब एवं दावलसा मैदान तलाई में दूषित जल का निस्सारण नहीं है । रातड़िया तालाब
के दक्षिण क्षेत्र की ओर स्थित मालीपुरा बस्ती की ओर से निस्सारण होने वाले दूषित जल को तालाब
में मिलने से रोकने हेतु नगर पालिका द्वारा एक आर.सी.सी. नाले का निर्माण किया जा रहा था।
जिसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण के कारण शेष था जो कि वर्तमान में पूर्ण कर लिया गया है । तालाब
के उत्तर क्षेत्र में छावनी क्षेत्र की ओर से एक मात्र छोटी नाली का दूषित जल तालाब में मिल रहा
है जिसे रोकने हेतु पक्के नाले का निर्माण किया जा रहा है । जो कि शीघ्र पूर्ण किया जावेगा ।

रातड़िया तालाब के संरक्षण हेतु शासन द्वारा रू. 340 लाख की योजना स्वीकृत की गई है जिसके
अंतर्गत शंकर कुइयाँ के समीप 500किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट स्थापित
करने की योजना भी प्रस्तावित है जिसकी तकनिकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की
कार्यवाही प्रचलित थी जिसमें अधिक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उज्जैन द्वारा पत्र
क्रमांक 1693 दिनांक 31.08.2020 से तकनिकी स्वीकृति जारी कि जा चुकी है। जो कि (परिशिष्ट--1)
पर संलग्न है । प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल
को पत्र क्रमांक 2168 दिनांक 07.09.2020 से भेजा गया है । (परिशिष्ट--2) एवं स्मरण पत्र क्रमांक
2486 दिनांक 09.10.2020 को प्रेषित किया गया है । (परिशिष्ट--3) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के
उपरांत उक्त योजना की शीघ्र ही निविदाये जारी की जाकर सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट का कार्य कराया
जायेगा ।
(संलग्न :--उपरोक्तानुसार)

उपरोक्तानुसार प्रगति रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष सादर प्रेषित है ।

(अवधेश शर्मा)
कलेक्टर
जिला– आगर मालवा

(19)

परिशिष्ट - J

संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ)उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell)Ujjain Division Ujjain

Block "A" Bharatpuri Ujjain (M.P.)Pin 4560.. Phone : 0734-251542.. www.mpurban.gov.in ceujjain@mpurban.go..

क्र0 / यां.प्र. / तक.स्वी. / 2020 / 1698 उज्जैन, दिनांक– 31/8/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका आगर
जिला– आगर

विषय :– तकनीकी स्वीकृति (रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य)।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1490 दि. 30.06.2020 एवं संशोधन उपरांत आपका पत्र क्र. 1989 दि. 18.08.2020

––0––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के सन्दर्भ में संलग्न प्राक्कलन पर निम्न शर्तों के आधार पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्न कार्य के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	स्थल का विवरण	प्राक्कलन राशि
01	रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य।	रातडिया तालाब	लागत राशि रू. 30358391.20 + जी.एस.टी. @ 12% राशि रू. 3643007.00 = **34001398.00**

शर्तें :–

1. संबंधित प्राक्कलन की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.) के एकीकृत मानक दर सूची (UADD ISSOR) दि.10.05.2012 एवं संशोधन दिनांक 24.11.18 के अनुरूप दर पर जारी की जाती है।
2. उक्त तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रदाय की जा रही है, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा जारी करने के पूर्व SAP Portal के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य है, आवश्यकतानुसार कार्य की स्ट्रक्चरल ड्राईंग डिजाइन किसी इंजिनियरिंग संस्थान से परीक्षण उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति हेतु SAP Portal पर अपलोड करें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित सहायक यंत्री / उपयंत्री की रहेगी।
3. कार्य एस.ओ.आर. स्पेसिफिकेशन के एवं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराया जावे, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निविदा दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने के उपरांत निकाय हित में निर्णय लिया जावे तथा अंतिम देयको का भुगतान के पूर्व निकाय हित में सक्षम अधिकारी से देयक परीक्षण कराया जावे।
4. प्राक्कलन पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर अनुमोदित की जा रही है कि स्थल विवादास्पद नहीं है, स्थल चयन, भूस्वामित्व का परीक्षण निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कर लें। विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी / परिषद् उत्तरदायी रहेगी।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी / अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. म.प्र.न.पा. (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुसार प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति ली जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. निविदा जारी दिनांक तक प्रचलित एस.ओ.आर. में कोई संशोधन जारी होने से इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति प्रभावित होती है पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय से लेना सुनिश्चित करें।

F:\Yantriki Prakoshtha\Approval\Technical Approval

संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ)उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell)Ujjain Division Ujjain
Block "A" Bharatpuri Ujjain (M.P.)Pin 4560
Phone : 0734-2515422
www.mpurban.gov.in
ceujjain@mpurban.go

8. टेस्टिंग अधिकृत लेब से कराने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। टेस्ट रिर्पोट के अभाव में भुगतान न किया जावे।
9. प्रचलित दर सूची में जो संशोधन लागू किये गये निविदा सूचना में स्पष्ट तौर पर उन संशोधनों का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति यदि पूर्व में निकाय द्वारा प्राप्त कर ली गई हो तो उक्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
11. शासन आदेश अनुसार 1.00 लाख व इससे अधिक के निर्माण कार्यो की निविदा ई–टेंडरिंग प्रणाली से करना अनिवार्य है तथा निर्माण कार्य परफारमेन्स ग्यारंटी अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–प्राक्कलन उपरोक्तानुसार।

31/8/2010

अधीक्षण यंत्री,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
उज्जैन संभाग, उज्जैन

31/8/20

परिशिष्ट – 2

कार्यालय नगरपालिका परिषद् आगर जिला आगर–मालवा (म0प्र0)

क्र/2020/न.पा./ 2168 आगरदिनांक 07.09.20

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

विषय :– रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति विषयक ।

सन्दर्भ :– अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 |

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है की नगर पालिका परिषद् आगर को रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास आदेश क्र 4125 /या.प्र./7 /झीलों एवं तालाब /2020 भोपाल दिनांक 18.03.20 राशि 116.56 लाख की प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपी पत्र के साथ संलग्न है कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 द्वारा राशि 340.00 लाख (जी एस टी सहित) की दी गयी है | म प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के 237 (5) तालिका अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन श्रीमान के द्वारा किया जाना है |

अतः उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें|

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद आगर
आगर दिनांक

पृ.क्र/2020/न.पा./ 2169
प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण यंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद आगर

09/09/2020
आवक लिपिक
संचालनालय
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म प्र भोपाल

परिशिष्ट - 3

कार्यालय नगरपालिका परिषद् आगर जिला आगर–मालवा (म0प्र0)

क्र / 2020 / न.पा. / 2486 2486 आगरदिनांक 9-10-2020

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

विषय :– रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति विषयक ।
सन्दर्भ :– अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 एवं कार्यालय पत्र क्र 2168 आगर दिनांक 07.09.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में निवेदन है की नगर पालिका परिषद् आगर को रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास आदेश क्र 4125 /या.प्र./7 /झीलों एवं तालाब /2020 भोपाल दिनांक 18.03.20 राशि 116.56 लाख की प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपी पत्र के साथ संलग्न है कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 द्वारा राशि 340.00 लाख (जी एस टी सहित) की दी गयी है । म प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के 237 (5) तालिका अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन श्रीमान के द्वारा किया जाना है ।

अतः उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् आगर
आगर दिनांक 9-10-2020

पृ.क्र / 2020 / न.पा. / 2487
प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण यंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् आगर

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली

OA No. 134/2017 (CZ)

रमेश अग्रवाल

विरुद्ध

मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14/07/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक OA No. 134/2017 (रमेश अग्रवाल विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य) में दिनांक 14/07/2020 को निम्नानुसार आदेश पारित किए गए है :-

1) The matter of llegal encroachment and the construction on the water-bodies namely three ponds situted at District Agar city to the middle center was raised in the issue and report was called and the Tehsildar, Agar was also directed to submit a report and appear before the Tribunal but he failed to appear and filed to submit a report.

2) Thus, we direct the Collector, Agar and Mahya Pradesh State Pollution Control Board (SPCB) to submit a factual and action taken report.

3) The report be a submitted within on month from today by E-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन मे तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. तीनो तालाबों का सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग एवं नगरपालिका परिषद् आगर द्वारा दिनांक 09/08/2020 को किया गया है | सीमांकन मे दावलसा मैदान तलाई एवं

रानडिया तालाब के पास कुछ स्थानो पर अतिक्रमण पाया गया है। सीमांकन रिपोर्ट परिशिष्ट 01 अनुसार संलग्न है।

2. मोतीसागर तालाब एवं दावलसा मैदान तलाई मे दूषित जल का निस्सारण नहीं है। रानडिया तालाब मे आस-पास के रहवासी कालोनियों के दूषित जल का निस्सारण रोकने के संबंध मे नगरपालिका परिषद आगर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत दूषित जल को संग्रहित कर अन्यत्र डायवर्ट करने हेतु आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। याचिका मे उल्लेखित तीन तालाबो मे शहर के घरेलू दूषित जल मिलने एवं इसके रोकने हेतु की गयी कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन परिशिष्ट 02 अनुसार संलग्न है।

3. रानडिया तालाब के संरक्षण हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की बैठक दिनांक 04/03/2020 मे रुपए 340 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत शकरकुईयाँ के समीप 500 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की भी योजना प्रस्तावित है। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रचलन में है। विस्तृत योजना की जानकारी परिशिष्ट 03 अनुसार संलग्न है।

एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

एस.एन. द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन

अवधेश शर्मा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला- आगर मालवा